



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269923
CG-DL-E-07022026-269923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947

No.106]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 112(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 270(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 29 अप्रैल, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है) के नियम 115 में,-

(क) उपनियम 2 के खण्ड (i) में, “टीएपी दस्तावेज संख्या 115 और 116 या समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 137” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “या एआईएस-175” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम 18 में, खण्ड (i) के पश्चात् खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(अ) विश्वव्यापी समन्वित हल्के यान परीक्षण प्रक्रिया (डब्ल्यूएलटीपी) परीक्षण चक्र सहित भारत चरण-VI (बीएस-4) उत्सर्जन मानक: 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद निर्मित सभी मॉडलों के लिए, सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) 3500 किलोग्राम से अधिक न होने वाले श्रेणी एम2 के यानों और श्रेणी एम1 के यानों के लिए उत्सर्जन मानक निम्नानुसार होंगे:-

सारणी 1:

पीआई और सीआई आंतरिक दहन (कंबश्शन) इंजन वाले यानों के लिए निकास (एक्जास्ट) उत्सर्जन सीमाएं: (बीएस-4) डब्ल्यूएलटीपी

श्रेणी	वर्गीकरण	संदर्भ	कार्बन		कुल हाइड्रोजन कार्बन -		नॉनमीथेन हाइड्रोजन कार्बन		नाइट्रोजन ऑक्साइड -		कुल हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड		पार्टिकुलेट मैटर		कणों	
			(सीओ)		(टीएचसी) का द्रव्यमान		(एनएमएचस) का द्रव्यमान		(एनओएक्स) का द्रव्यमान		(टीएचसी + एनओएक्स) का संयुक्त द्रव्यमान		(पीएम) का द्रव्यमान		(पार्टिकल्स) की संख्या (पीएन)	
			एल 1 (मिलीग्राम/किमी)	एल 2 (मिलीग्राम/किमी)	एल 3 (मिलीग्राम/किमी)	एल 4 (मिलीग्राम/किमी)	एल 2 + एल 4 (मिलीग्राम/किमी)	एल 5 (मिलीग्राम/किमी)	एल 6 (#/किमी)							
			पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई
एम	-	सभी	1000	500	100	-	68	-	60	80	-	170	4.5	4.5	6x10 ¹¹	6x10 ¹¹

पीआई = पॉजिटिव इग्निशन, सीआई = कंप्रेशन इग्निशन

1. पॉजिटिव इग्निशन के लिए, कण द्रव्यमान और कणों की संख्या की सीमा केवल डाइरेक्ट इंजेक्शन इंजन वाले यानों पर लागू होगी।

2. “संदर्भ द्रव्यमान” से यान के संचालन-योग्य अवस्था में द्रव्यमान से चालक के समान रूप से निर्धारित 75 किलोग्राम द्रव्यमान को घटाकर और उसमें समान रूप से निर्धारित 100 किलोग्राम द्रव्यमान जोड़कर प्राप्त द्रव्यमान अभिप्रेत है।

टाइप-अनुमोदन के लिए परीक्षण आवश्यकताओं की अनुप्रयोज्यता - बीएस VI, डब्ल्यूएलटीपी परीक्षण प्रक्रियाओं के साथ, सारणी 2 के नियम 115(18)(i) के समान होगी, जिसमें स्पष्टीकरण टिप्पण (1) से (5) शामिल हैं।

टिप्पण -

1. परीक्षण चेसिस डायनेमोमीटर पर किया जाएगा।
2. ड्राइविंग साइकल सहित परीक्षण प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित एआईएस-175 के अनुसार होगी।

3. उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) प्रयोजनों के लिए मानदंडों में कोई छूट नहीं दी जाएगी और अनुपालन की प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित एआईएस-175 के अनुसार होगी।
4. संदर्भ ईंधन के लिए विनिर्देश नियम 115(18)(i) के नोट 4 के समान होंगे।
5. क्रैंककेस वेंटिलेशन प्रणाली सेवायुमंडल में किसी भी क्रैंककेस गैस का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए।
6. गैसोलीन ईंधन वाले यानों से वाष्पीकरण उत्सर्जन 2.0 ग्राम/परीक्षण से अधिक नहीं होना चाहिए। गैसोलीन ईंधन वाले यानों के लिए वाष्पीकरण उत्सर्जन परीक्षण प्रक्रिया एआईएस-175 में निर्दिष्ट और समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
7. उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) परीक्षण प्रक्रिया एआईएस-175 में वर्णित और समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
8. उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) आवृत्ति और सैंपल के नियम 115 (18) (i) के नोट 8 के समान होंगे।
9. वाणिज्यिक ईंधन के लिए विनिर्देश नियम 115(18)(i) के नोट 9 के समान होंगे।
10. एनओएक्स न्यूनीकरण एजेंट एयूएस32 (एक्वेटिक यूरिया सोल्यूशन) के विनिर्देश नियम 115(18) (i) के नोट 10 के समान होंगे।
11. डीजल यानों के लिए नजर आने वाले प्रदूषकों (धुआं) के उत्सर्जन की आवश्यकताएं नियम 115 (18) (i) के नोट 11 के समान होंगी।
12. इंजन की शक्ति को इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा और मापी गई शक्ति के लिए प्रक्रिया और आवश्यकताएं नियम 115 (18) (i) के नोट 12 के समान होंगी।
13. टाइप II परीक्षण: इस उप-खंड में निर्दिष्ट पीआईई इंजन लगे यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (i)के प्रावधानों,जैसा लागू हो का अनुपालन करेंगे।
14. फ्री एक्सलरेशन स्मोक: इस उप-खंड में निर्दिष्ट सीआईई इंजन वाले यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (ii) के प्रावधानों,जैसा लागू हो का अनुपालन करेंगे।
15. क्षय कारक निम्नलिखित सारणी में दिए अनुसार होगा: -

सारणी 2

क्षय कारक: (बीएस VI) डब्ल्यूएलटीपी

इंजन श्रेणी	कार्बन मोनाऑक्साइड (सीओ)	कुल हाइड्रो कार्बन (टीएचसी)	नॉनमीथेन हाइड्रोकार्बन (एनएमएचस)	नियत क्षयकारक			कणों (पार्टिकल्स) की संख्या (पीएन)
				नाइट्रोजन ऑक्साइड - (एनओएक्स)	हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड (टीएचसी + एनओएक्स)	पार्टिकुलेट मीटर (पीएम)	
पॉजिटिव इग्निशन	1.5	1.3	1.3	1.6	-	1.0	1.0
कंप्रेशनइग्निशन	समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-175 के अनुसार संपूर्ण यान या बेंच एजिंग ड्यूरेबिलिटी परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग करके क्षय कारक बनाए जाएंगे।						

(i) वैकल्पिक रूप से, यान विनिर्माता पीआई यानों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-175 के अनुसार क्षय कारक के मूल्यांकन के लिए 1,60,000 किमी के यान एजिंग परीक्षण या बेंच एजिंग झूरेबिलिटी परीक्षण का विकल्प चुन सकता है।

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-175 के अनुसार यान का परीक्षण ट्रैक, सड़क या चेसिस डायनेमोमीटर अथवा इंजन टेस्ट बेंच पर यह परीक्षण किया जा सकता है।

(iii) उपर्युक्त एजिंग परीक्षण नियम 126 में निर्दिष्ट अनुमोदित परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए।

16. यानों में उत्सर्जन नियंत्रण के लिए ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक (बीएस VI - ओबीडी) सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसमें समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-175 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहीत दोष कोड के माध्यम से खराबी के संभावित क्षेत्र की पहचान करने की क्षमता होगी, जब उस विफलता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सारणी में दी गई सीमाओं से अधिक उत्सर्जन में वृद्धि होती है, अर्थात्: -

सारणी 3:

बीएस-VI डब्ल्यूएलटीपी यानों के लिए ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक (ओबीडी) सीमा

क्र.सं.	संदर्भ द्रव्यमान (आरएम) (2) (कि.ग्रा.)		सीओ (मिलीग्राम/किमी)		एनएमएचसी/ (मिलीग्राम /किमी)		एनओएक्स (मिलीग्राम/ किमी)		पीएम (मिलीग्राम/ किमी)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	श्रेणी	वर्ग		पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई (1)	सीआई
(2)	एम(एम1 और एम2)	-	सभी	1900	1750	170	290	90	140	12	12
<p>ऊर्ध्वलिखित संदर्भों से संबंधित स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ-</p> <p>(1) पॉजिटिव इग्निशन के लिए, कण द्रव्यमान और कणों की संख्या की सीमा केवल डाइरेक्ट इंजेक्शन इंजन वाले यानों पर लागू होगी।</p> <p>(2) "संदर्भ द्रव्यमान" से यान के संचालन-योग्य अवस्था में द्रव्यमान से चालक के समान रूप से निर्धारित 75 किलोग्राम द्रव्यमान को घटाकर और उसमें समान रूप से निर्धारित 100 किलोग्राम द्रव्यमान जोड़कर प्राप्त द्रव्यमान अभिप्रेत है।</p>											

17. इन नियमों का अनुपालन करने वाले बीएस VI यानों के लिए इन यूज परफॉर्मेंस रेश्यो (आईयूपीआर), ओबीडी प्रणालियों के एक विशिष्ट मॉनिटर एम का इन यूज परफॉर्मेंस रेश्यो (आईयूपीआर) होगा:

आईयूपीआरएम = अंश (न्युमिनेटर)/ हर (डीनोमीनेटर)

i. अंश (न्युमिनेटर) और हर (डीनोमीनेटर) की तुलना यह संकेत देती है कि यान संचालन के सापेक्ष एक विशिष्ट मॉनिटर कितनी बार संचालित होता है। आईयूपीआर को ट्रैक करने के लिए विस्तृत आवश्यकताएँ एआईएस-175 में दी गई हैं।

ii. यदि एआईएस-175 में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, यान एक विशिष्ट मॉनिटर एम से सुसज्जित है, तो आईयूपीआरएम निम्नलिखित न्यूनतम मानों से अधिक या उनके बराबर होगा।

(क) वाष्पीकरण उत्सर्जन शुद्धिकरण नियंत्रण मॉनीटर के लिए 0.520

(ख) अन्य सभी मॉनीटरों के लिए 0.336.

(ग) सेकेंडरी एयर सिस्टम मॉनीटर और कोल्ड स्टार्ट संबंधित अन्य मॉनीटर के लिए 0.260

18. यानों का इन सर्विस अनुपालन एआईएस-175 में निर्धारित और समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

19. इन नियमों का अनुपालन करने वाले यानों के लिए टाईप अनुमोदन के दौरान सभी मॉडलों के लिए, यथा संशोधित एआईएस-175 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पीईएमएस का उपयोग करके रीयल वर्ल्ड ड्राइविंग सायकल उत्सर्जन मापा जाएगा। आरडीई अनुरूपता कारक (सीएफ), निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा अर्थात्:-

सारणी 4

अनुरूपता कारक (सीएफ) : बीएस-VI डब्ल्यूएलटीपी

क्र. सं.	प्रदूषक	सीएफ प्रदूषक
	एनओएक्स	1 + मार्जिन (3) एनओएक्स मार्जिन एनओएक्स के साथ= 0.43
1.	पीएन (1)	1 + मार्जिन (3) पीएन मार्जिन पीएन के साथ= 0.5
2.	सीओ (2)	-
<p>ऊर्ध्वलिखित संदर्भों से संबंधित स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पॉजिटिव इग्निशन (प्रत्यक्ष इंजेक्शन) इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए लागू होंगे। 2. कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को आरडीई परीक्षणों में मापा और दर्ज किया जाएगा। 3. मार्जिन एक पैरामीटर है जो पीईएमएस उपस्कर द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त माप अनिश्चितताओं को ध्यान में रखता है। 		

20. सीएनजी या बायो-सीएनजी या एचसीएनजी यान एआईएस 024, एआईएस-028 संशोधन 1, जैसा लागू हो के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

21. ई85 और ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए यान की अनुकूलता परिभाषित की जाएगी और इसे एआईएस 171:2021 के अनुसार स्पष्ट रूप से नजर आने वाले स्टिकर लगाकर यान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

22. "पॉजिटिव इग्निशन इंजन सहित सभी गैसोलीन चालित मोनो-फ्यूल एवं बाय-फ्यूल वाहन, जिनमें हाइब्रिड वाहन भी सम्मिलित हैं, को एथेनॉल (ई20) ईंधन के साथ प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।"

3. उक्त नियम में, नियम 115-छ के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उपनियम (1) के अधीन अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, या समय-समय पर यथा संशोधित दस्तावेज़ संख्या एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 एआईएस 137 के अनुसार अधिकथित होगी। एआईएस-175 के अधिसूचित होने की तारीख से और उसके पश्चात, उप-नियम (1) के अधीन अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, लागू नियमों के अधीन उल्लिखित समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-175 के अनुसार होगी।"

[फा. सं. आरटी-11036/25/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ), तारीख 20 जनवरी, 2026 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2026

G.S.R. 112(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R 270 (E), dated the 28th April, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification was made available to the public on 29th April, 2025;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 115,-

(a) in-sub-rule (2), in clause (i), in TABLE A, in Note, in second proviso, after the words, letters and figures, “TAP documents Nos. 115 and 116 or AIS-137” the letters and figures “or AIS-175” shall be inserted;

(b) in sub-rule (18), after clauses (i), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iA) **The Emission Standards for Bharat Stage VI (BS-VI) with Worldwide Harmonized Light duty Test Procedure (WLTP) test cycle:** The emission standards for vehicles of category **M2** with Gross Vehicle Weight (GVW) not exceeding 3500kg and for vehicles of category **M1**, manufactured on or after 1st April 2027 for all models, shall be as under:-

TABLE 1

Exhaust Emission Limits for Vehicles Fitted with PI and CI Internal Combustion Engines: (BS-VI) WLTP

Category	Class	Reference Mass (RM)(2) (kg)	Mass of carbon monoxide - (CO)		Mass of total hydrocarbons - (THC)		Mass of nonmethane hydrocarbons (NMHC)		Mass of oxides of nitrogen - (NOx)		Combined mass of total hydrocarbons and oxides of nitrogen (THC + NOx)		Mass of particulate matter (PM)		Number of particles (PN)	
			L ₁ (mg/km)		L ₂ (mg/km)		L ₃ (mg/km)		L ₄ (mg/km)		L ₂ + L ₄ (mg/km)		L ₅ (mg/km)		L ₆ (#/km)	
			PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI ⁽¹⁾	CI
M	-	All	1000	500	100	-	68	-	60	80	-	170	4.5	4.5	6x10 ¹¹	6x10 ¹¹

PI = Positive Ignition, CI = Compression Ignition

- For positive ignition, particulate mass and number of particles limit shall apply only to vehicles with Direct Injection engines.
- "Reference mass" means the vehicle's mass in running order less the uniform mass of the driver of 75 kg and increased by a uniform mass of 100 kg.

Application of Test Requirements for Type-Approval – BS-VI, with WLTP test procedures, shall be same as that of Table 2 of rule 115 (18) (i) including explanatory note (1) to (5) only.

Notes. -

- The test shall be on Chassis Dynamometer.
- The test procedure including driving cycle shall be as provided in AIS-175 as amended from time to time.

3. There shall be no relaxation of norms for Conformity of Production (COP) purposes and procedure for compliance shall be as per AIS-175 as amended from time to time.
4. Specifications for Reference Fuels shall be same as that of Note 4 of rule 115(18)(i).
5. Crankcase ventilation system shall not permit the emission of any of the crankcase gases into the atmosphere.
6. Evaporative emission shall not be more than 2.0g/test from Gasoline fuelled vehicles. The evaporative emission test procedure for gasoline fuelled vehicles shall be as per the procedure specified in AIS-175 and as amended from time to time.
7. The Conformity of Production (COP) testing procedure shall be as described in AIS-175 and as amended from time to time.
8. Conformity of Production (COP) frequency and samples shall be same as that Note 8 of rule 115(18)(i).
9. Specifications for Commercial Fuels shall be same as that note 9 of rule 115(18)(i).
10. Specifications of NOx reduction agent AUS 32 (Aqueous Urea Solution) shall be same as that of Note 10 of rule 115 (18) (i).
11. For diesel vehicles, the requirements for the emission of visible pollutants (smoke) shall be same as that of Note 11 of rule 115 (18) (i).
12. The engine power shall be measured on engine dynamometer and the procedure and requirements for the measured power shall be same as that of Note 12 of rule 115 (18) (i).
13. Type-II Test: Vehicles fitted with PI engines specified in this sub-clause shall comply with the provisions of clause (i) of sub-rule (2) of rule 115 as applicable.
14. Free Acceleration Smoke: Vehicles fitted with CI engines specified in this sub-clause shall comply with the provisions of clause (ii) of sub-rule (2) of rule 115 as applicable.
15. Deterioration Factor shall be as given in the following Table: -

Table 2**Deterioration Factor: (BS-VI) WLTP**

Sl. No.	Engine Category	Assigned Deterioration Factor						
		CO	THC	NMHC	NOx	HC+NOx	Particulate Matter (PM)	Particle Number (PN)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	Positive Ignition	1.5	1.3	1.3	1.6	-	1.0	1.0
(2)	Compression Ignition	Deterioration Factors shall be established by using the whole vehicle or bench ageing durability test procedures as per AIS-175 as amended from time to time.						

- (i) Alternatively, for PI vehicles, the vehicle manufacturer may opt for a vehicle ageing test of 1,60,000 km or bench ageing durability test, for evaluating the Deterioration factor as per AIS-175 and as amended from time to time.
- (ii) This test may be performed by driving vehicle on a test track, on the road, or on a chassis dynamometer or Engine Test Bench as per AIS-175 and as amended from time to time
- (iii) The above ageing test should be carried out by the approved test agency specified in rule 126.

16. The vehicles shall be equipped with On-Board Diagnostic (BS- VI WLTP - OBD) systems for emission control which shall have the capability of identifying the likely area of malfunction by means of fault codes stored in computer memory as per the procedure laid down in AIS-175 and as amended from time to time when that failure results in an increase in emission above the limits given in the following Table, namely:-

Table 3
On-Board Diagnostic (OBD) Threshold for vehicles: BS-VI WLTP

Sl. No.			Reference mass (RM) ⁽²⁾ (kg)	CO (mg/km)		NMHC/ (mg/km)		NOx (mg/km)		PM (mg/km)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	Category	Class		PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI (1)	CI
(2)	M (M1 & M2)	-	All	1900	1750	170	290	90	140	12	12
Explanatory Notes to Superscript- ⁽¹⁾ For positive ignition, particulate mass apply only to vehicles with direct injection engines ⁽²⁾ Reference mass" means the vehicle's mass in running order less the uniform mass of the driver of 75 kg and increased by a uniform mass of 100 kg.											

17. In-use performance ratio (IUPR) for BS-VI WLTP vehicles complying to these rules, the in-use performance ratio (IUPR) of a specific monitor M of the OBD systems shall be:

$$IUPR_M = \text{Numerator} / \text{Denominator}$$

- (i) Comparison of Numerator and Denominator gives an indication of how often a specific monitor is operating relative to vehicle operation. Detailed requirements for tracking IUPR are given in AIS-175.
- (ii) If, according to the requirements specified in AIS-175, the vehicle is equipped with a specific monitor M, IUPR_M shall be greater or equal to the following minimum values.
 - (a) 0.520 for evaporative emission purge control monitors.
 - (b) 0.336 for all other monitors.
 - (c) 0.260 for secondary air system monitors and other cold start related monitors.

18. In service compliance of vehicles shall be as per procedure laid down in AIS-175 and as amended time to time.

19. For the vehicles complying to these Rules, Real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for vehicles as per the procedure laid down in AIS-175 as amended from time to time, for all models during Type Approval. The RDE Conformity Factor (CF), shall be as per following Table namely:-

Table 4
Conformity Factor (CF) : BS-VI WLTP

Sl. No.	Pollutant	CFpollutant
	(1)	(2)
(1)	NOx	1 + margin ⁽³⁾ NOx With margin NOx = 0.43
(2)	PN (1)	1 + margin ⁽³⁾ PN With margin PN = 0.5
(3)	CO (2)	-
Explanatory Notes to Superscripts- (1) Applicable for: Positive Ignition (Direct Injection) engines and Compression Ignition Engines only; (2) CO emissions shall be measured and recorded at RDE tests; (3) Margin is a parameter taking into account considering the additional measurement uncertainties introduced by the PEMS equipment.		

20. The CNG or Bio-CNG or HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.

21. The compatibility of vehicle to the level of Ethanol blend of E85 and E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on the vehicle by putting a clearly visible sticker as per AIS 171:2021.

22. All the Gasoline fuelled Mono Fuel and Bi-Fuel Vehicles with Positive Ignition Engines including Hybrids shall be certified with Ethanol (E20) fuel.”.

3. In the said rules, in rule 115-G, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(2) The procedure for ensuring compliance under sub-rule (1) shall be as laid down in Document No. MoRTH/CMVR/TAP-115/116 or AIS-137, as amended from time to time. On and after the AIS-175 is notified, the procedure for ensuring compliance under sub-rule (1) shall be as laid down in AIS-175 as amended from time to time as mentioned under the corresponding applicable rules.”.

[F. No. RT-11036/25/2025-MVL]
MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* G.S.R. 48 (E) dated the 20th January, 2026.